पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2277/अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : 25/09/2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) उषा दुबे	–	सदस्य
6.	डॉ. बी.एन. शर्मा	–	सदस्य
7.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
9.	श्री पी. रमेश कुमार, सचिव उच्च शिक्षा	–	सदस्य
10.	प्रो. (श्रीमती) जय लक्ष्मी ठाकुर	–	सदस्य
11.	डॉ. सुबीर मुखर्जी	–	सदस्य
12.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
13.	प्रो. राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
14.	श्री देवजी भाई	–	सदस्य
15.	श्री त्रिलोचन पटेल	–	सदस्य
16.	श्री चंदू लाल साहू	–	सदस्य
17.	श्री विनोद खांडेकर	–	सदस्य
18.	श्री भूपेश बघेल	–	सदस्य
19.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में श्री एस.के. चक्रवर्ती, उप सचिव वित्त, श्री राहुल महावर तथा स्वामी निखिलानंद जी अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् में नामित पॉच विधायकों सर्वश्री श्री देवजी भाई, श्री त्रिलोचन पटेल, श्री चंदू लाल साहू, श्री विनोद खांडेकर, श्री भूपेश बघेल का विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत् किया और आशा व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के विकास एवं रचनात्मक कार्यो में माननीय विधायकों का पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा।

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 29.05.2008 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय :– विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 29.05.2008 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि करते हुए अध्यादेश कमांक 45 के इस प्रावधान कि पी.एच.डी. के लिए पंजीयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हो पर डॉ.(श्रीमती) उषा दुबे, डॉ. जी.बी. गुप्ता, डॉ. एस.जे. केकरे, श्री देवजी भाई, श्री चंदू लाल साहू श्री भूपेश बघेल, श्री विनोद खांडेकर, श्री त्रिलोचन पटेल, डॉ. शलभ कुमार तिवारी, प्रो. जयलक्ष्मी ठाकुर एवं उच्च शिक्षा सचिव, श्री पी. रमेश कुमार ने मत व्यक्त किया

कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पी.एच.डी. पंजीयन में छ.ग. के छात्रों का नुकसान होगा इसलिए इस प्रावधान से असहमति जताई। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पी.एच.डी. पंजीयन पर डॉ. अवधराम चंद्राकर, डॉ. एस.के.मुखर्जी, डॉ. आर.पी. दास, डॉ. गौरी शंकर एवं प्रोफेसर आर.के. गुप्ता ने सहमति व्यक्त की।

अध्यादेश क्र. 45 विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.04.2008, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2008 एवं 29.05.2008 में सर्वसम्मति से पारित किया गया है। विद्या–परिषद् की स्थायी समिति तथा दोनों कार्य–परिषदों की बैठकों में प्रोफे. उषा दुबे, उपस्थिति थी। डॉ. शलभ तिवारी एवं डॉ. एस.जे. केकरे दोनों कार्य–परिषद् की बैठकों में उपस्थित थे और इन्होने अपनी असहमति उन बैठकों में नहीं दर्ज करायी है न ही किसी सदस्य ने कार्यवृत्त जारी होने के बाद आज तक इस संदर्भ में कार्यवृत्त पर अपनी लिखित आपत्ति भेजी है।

श्री पी. रमेश कुमार, सचिव उच्च शिक्षा, ने अध्यादेश कमांक 45 के प्रवेश परीक्षा के प्रावधान पर टिप्पणी की कि एम.फिल. एवं पी.एच.डी. में प्रवेश यदि परीक्षा के माध्यम से होता है तो छत्तीसगढ़ के छात्रों को इससे नुकसान होगा। अतः यह प्रावधान आगामी तीन वर्षों के लिए स्थगित रखा जाय ताकि सुकमा जैसे महाविद्यालयों जहां की एक भी शिक्षक नहीं है, इस अवधि में वहां के छात्र प्रवेश परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके।

अध्यक्ष कार्यपरिषद ने व्यवस्था दी चूंकि अध्यादेश क्र. 45 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति, कार्यपरिषद् एवं विद्या परिषद की पूर्ण बैठकों में पूर्व में ही पारित हो चुका है और सम्पुष्टि के समय यह प्रश्न उठाये जा रहे हैं इसलिए अंतिम निर्णय के लिए अधिनियमीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एड्. के ऐसे महाविद्यालय पर भी कार्रवाई की जाय जिन्होनें छ.ग. के बाहर के 20 प्रतिशत् से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया है।

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 15.05.2008 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– अनुमोदन किया गया।

3. विनियम क्रमांक–108, भाग–9 की कंडिका–4 द्वितीय परन्तुक के संशोधन पर विचार किया गया।

कंडिका	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
भाग–9 कंडिका–4 द्वितीय परंतुक	परंतु यह भी कि कुलपति/कार्यपरिषद् को यह अधिकार होगा कि वे किसी विशेष कार्य/विशिष्ट कार्य हेतु एक निर्धारित राशि के रूप में स्वीकृत कर सकेगी जिसे संबंधित कार्यो को प्रोत्साहन के रूप में वह कार्य करने के फलस्वरूप देय हो किन्तु यह राशि 1000 रू. प्रतिमाह से अधिक नहीं दी जा सकेगी तथा इसकी अवधि एक वित्तीय सत्र मे तीन माह से अधिक नहीं होगी।	परंतु यह भी कि कुलपति/कार्यपरिषद् को यह अधिकार होगा कि वे किसी विशेष कार्य/विशिष्ट कार्य हेतु एक निर्धारित राशि के रूप में स्वीकृत कर सकेगी जिसे संबंधित कर्मी को प्रोत्साहन के रूप मे वह कार्य करने के फलस्वरूप देय हो किन्तु यह राशि 10,000 रू. प्रतिमाह अधिकतम तथा नियमित रूप से एक सत्र से अधिक अवधि के लिए देय नहीं होगा।

निर्णय :– प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

4. समयमान वेतनमान विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि राज्य शासन का आदेश क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28 अप्रेल 2008 अंगीकृत करते हुए पद क्रमांक 22 में स्वीकृत 43 कर्मचारियों के समयमान वेतन का अनुमोदन किया गया।

5. आवासीय अंकेक्षण बंद किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :– सूचना ग्रहण की गई यह भी प्रस्तावित किया गया कि राज्य शासन तत्काल वित्त अधिकारी के प्रतिनियुक्ति करे, इस हेतु पत्र लिखा जाय। सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यपरिषद् को सूचित किया कि वित्त विभाग से इस हेतु पुनः पत्र लिखेंगे। वित्तीय त्रुटियॉ ना हो इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक विश्वविद्यालय यंत्री की प्रतिनियुक्ति नहीं होती, उच्च शिक्षा विभाग संविदा पर विश्वविद्यालय यंत्री के नियुक्ति की अनुमति विश्वविद्यालय को दे। दो उप कुलसचिव एवं सात सहायक कुलसचिवों के रिक्त पदों के कारण विश्वविद्यालय कार्यों में हो रही कठिनाई पर भी चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को तब तक अधिकारी नियुक्ति का अधिकार दिया जाय। सचिव उच्च शिक्षा ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और शासन को प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजे जाने का निर्देश दिया।

6. वर्ष 2008 का Result Proccessing के संबंध मे मेसर्स ओसवाल डाटा से अनुबंध पर विचार किया गया।

निर्णय :–अनुबंध अनुमोदित किया गया।

7. बी.ई. प्रथम सेमेस्टर ए.आई.सी.टी.ई. परीक्षा मई 2007 में उत्तीर्ण छात्रों को आठवें सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि मई 2007 या बाद की परीक्षाओं में जिन छात्रों ने बी.ई. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें पात्रतानुसार पंचम्, षष्ठ, सप्तम् एवं अष्टम् सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मीलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। चूंकि इस विश्वविद्यालय में बी.ई. के नियमित छात्र नहीं रह गए अतः ऐसे छात्रों के लिए चारो सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ निरंतरता में आयोजित की जाएं। इस तरह तीन बार परीक्षाएं आयोजित की जाएं। इसके पश्चात् इस विश्वविद्यालय से बी.ई. की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जायेंगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों के ऐसे प्रकरण है, उनके प्राचार्यों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सचिव तकनिकी शिक्षा, उच्च शिक्षा को लिखा जाए एवं अशासकीय महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही करे।

8. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के नये जिम में ताराफ्लेक्स फ्लोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया।

निर्णय :– व्यय रू. 2,40,000/– की इस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

9. Campus Network का AMC की दर स्वीकृति के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :–निर्णय लिया गया कि M/s Arithme Software & Web Services Pvt.Ltd. Ranchi का दर न्यूनतम होने के कारण वार्षिक व्यय रू. 6,40,447/– (छः लाख चालिस हजार चार सौ सैंतालिस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. कु. निलिमा गडकरी के आवेदन पत्र 01 मई 2008 पर विचार किया गया।

निर्णय :–निर्णय लिया गया कि शोध निर्देशक चयन का अधिकार शोधार्थी का है, विश्वविद्यालय इस पर कोई निर्णय नहीं अधिरोपित करेगा।

20. विश्वविद्यालय के पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति तिथि से आर्थिक लाभ दिये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि नियमानुसार पदोन्नत तिथि से आर्थिक लाभ दिये जाय।

23. श्री जी.के. देशमुख द्वारा कार्य पर उपस्थिति बाबत् विश्वविद्यालय के नोटिस के जवाब में उनके उत्तर पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि जितनी अवधि वे संस्थान से अनुपस्थित रहे हैं उस अवधि को बिना वेतन अवकाश माना जाय। अनुपस्थिति के कारण इनकी सेवा में यह अवधि सेवा भंग काल (Period of break in service) माना जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी दो वेतन वृद्धि रोकी जाय और इन्हें कार्य पर उपस्थित होनें की अनुमति प्रदान की जाय।

31. श्री के. वेणु आचारी, शोध, प्राणी विज्ञान का मौखिक परीक्षा के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– कुलपति ने सूचित किया कि डॉ. आर.एन. सक्सेना को परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित कर अन्य परीक्षक डॉ. डी.एन. सक्सेना से श्री के. वेणु आचारी, शोध छात्र की Ph.D. Viva परीक्षा आयोजित करने के लिए दिनांक 11.08.2008 की तिथि निर्धारित की गयी है।

पूरक विषयसूची

1. सेंट थॉमस महाविद्यालय, रूँआ बांधा, भिलाई, द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम–28 का पालन 10 माह पश्चात् भी न करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि परिनियम 28 का पालन न करने वाले महाविद्यालयों में सत्र 08–09 से प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय तद्नुसार सेंट थामस महाविद्यालय, भिलाई में सत्र 2008–09 से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया।

3. विवेकानंद महाविद्यालय मौदहा पारा, रायपुर के प्रथम वर्ष की कक्षाओं पर लगाये गये प्रवेश प्रतिबंध हटाने पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि चूँकि महाविद्यालय ने प्राचार्य, एवं शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली है, सत्र 08–09 में लगाया गया प्रवेश प्रतिबंध समाप्त किया जाता है।

5. अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत चयन समिति द्वारा अनुशंसित प्राचार्यों की नियुक्ति का अनुमोदन करना।

निर्णय :– चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित महाविद्यालयों में अनुशंसित प्राचार्य के नामों का अनुमोदन किया गया :–

1. **विवेकानन्द महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर** – **डॉ. मनोज मिश्रा**
2. **महावीर जैन महाविद्यालय, दुर्ग** – **डॉ. प्रवीण कुमार**

अनुमोदन किया गया। निम्नलिखित महाविद्यालयों के लिए चयन समिति ने कोई प्रत्याशी उपयुक्त न होने के कारण पद पुनः विज्ञापित करने की अनुशंसा की है। चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए महाविद्यालयों को पद पुनः विज्ञापित करने निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया –

1. **विवेकानन्द महाविद्यालय, भानसोज, जिला–रायपुर**
2. **रायपुर होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुण्ड, रायपुर**
3. **श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, भिलाई, जिला–दुर्ग**

अध्यक्ष की अनुमति से

1. भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि भाऊराव देवरस शोधपीठ की स्थापना की अनुशंसा की जाय। इस निर्णय पर श्री भूपेश बघेल ने अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि छ.ग. के किसी महान विभूति के नाम पर शोध पीठ स्थापित किया जाना उचित होगा।

2. विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर शिक्षा सचिव ने कहा कि शासन से मिलने गए विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मंडल को बता दिया गया था कि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय नया बनेगा किसी विश्वविद्यालय का उन्नयन नहीं होगा। कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से यह पारित किया कि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये अलग से किसी प्रस्ताव का कार्यपरिषद् से अनुमोदन का औचित्य नहीं है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक स्थगित की गई और शेष विषय सूची पर चर्चा नहीं हो सकी।

कुलपति

अध्यक्ष

कुलसचिव

सचिव

दिनांक 14.07.2008 को स्थगित कार्यपरिषद् की दिनांक 10.9.2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त :–

उपस्थित सदस्य :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) उषा दुबे	–	सदस्य
6.	डॉ. सुबीर मुखर्जी	–	सदस्य
7.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
8.	प्रो. राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
9.	श्री देवजी भाई	–	सदस्य
10.	श्री त्रिलोचन पटेल	–	सदस्य
11.	श्री चंदू लाल साहू	–	सदस्य
12.	श्री विनोद खांडेकर	–	सदस्य
13.	श्री भूपेश बघेल	–	सदस्य
14.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

11. विश्वविद्यालय अध्ययन शाला में संचालित एम.ए./एम.एस–सी. सेमेस्टर परीक्षाओं में पात्रता के संबंध में दिनांक 09.05.2008 के बैठक में सुझाये गये छात्र/छात्राओं के समस्याओं पर विचार किया गया।

निर्णय :–निर्णय लिया गया कि विचार कर गठित समिति के निर्णय को मान्य किया जावेगा।

12. एम.ए. क्लिनीकल साइकोलॉजी (द्विवार्षिक) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :–मान्य किया गया।

13. विश्वविद्यालय के अधिवक्ता **श्री राजेश पाण्डे** द्वारा विभिन्न प्रकरणों, जिन पर निर्णय हो चुका है, के अधिवक्ता शुल्क का देयक भुगतान किये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 605/सा.प्रशा./06 दिनांक 23.12.2006 के संबंध में अधिवक्ता को प्रतिमाह का भुगतान व प्रति केश भुगतान नहीं दिया जा सकता अतः श्री आर.के. पाण्डे से प्रति केश भुगतान की सहमति ले ली जाय एवं प्रति माह निर्धारित फीश न ली जाय।

14. उप कुलसचिव कक्ष हेतु A.C. क्रय कर, लगाए जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया।

निर्णय :– उप कुलसचिव कक्ष हेतु A.C. क्रय कर, लगाए जाने को मान्य किया गया।

15. विभागीय इम्प्रेस्ट राशि बढ़ाये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– विभागीय इम्प्रेस्ट राशि बढ़ाये जाने को मान्य किया गया।

16. छात्रावास के संरक्षिका, सहायक संरक्षिकाओं को आनुपातिक अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि बालक/बालिका दोनों छात्रावासों के संरक्षिका/उप संरक्षिका को अनुपातिक अर्जित अवकाश शासकीय नियमानुसार दिया जाय।

17. डॉ. एल.एस. निगम, आचार्य, प्राचार्य भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर, विश्वविद्यालय को सौंपे जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि राज्य शासन को पत्र लिखा जावे कि वर्तमान में प्रो. निगम, प्रोफेसर नियुक्त होकर स्थायी हो गए हैं। इससे अवगत् कराया जावे।

19. शासकीय महाविद्यालय, उतई द्वारा कोरी उत्तर पुस्तिका को नष्ट करने के संबंध में विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 1279/विकास/उपुप्र/2008 दिनांक 20.06.2008 पर विचार किया गया।

निर्णय :– कार्यपरिषद् ने सूचना ग्रहण की एवं शासकीय महाविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई अत्यंत गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य संबंधितो पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु सचिव उच्च शिक्षा राज्य शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया।

21. शोध निर्देशक की मान्यता रद्द किये जाने के विरूद्ध डॉ. आर.के. प्रधान के अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि डॉ. आर.के. प्रधान के प्रकरण पर अकादमिक विभाग को पुनर्परीक्षण कर 12.09.2008 को आयोजित आपातिक बैठक में प्रकरण रखे जाने के निर्देश दिये गए।

24. डॉ. एस.के. मिश्रा, प्रोफेसर, बायोसाइंस को, अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् पुनः सेवा में रखे जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि डॉ. एस.के. मिश्रा, प्रोफेसर, बायोसाइंस को, अधिवार्षिकी आयु के पश्चात् पुनः सेवा में रखे जाने को अमान्य किया गया।

25. श्री अनुराग साव, बी.ई. अष्टम् सेमेस्टर, सी.एस.आई.टी. दुर्ग के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परीप्रेक्ष्य में की गई कार्रवाई की सूचना ग्रहण की गई।

26. अधिवक्ताओं के शुल्क निर्धारण के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट के प्रकरणों पर पैरवी के लिये अधिवक्ताओं का पैनल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाय जिसे कार्य परिषद् की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावे।

27. श्री राजेन्द्र तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर, को रू. 50,000/– दिये गये अग्रिम की सूचना ग्रहण करने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय:- श्री राजेन्द्र तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर, को रू. 50,000/– दिये गये अग्रिम, की सूचना ग्रहण किया गया।

28. छात्र कार्तिक राधाकृष्णन, बी.ई. सष्ठम् सेमेस्टर, के सेशनल अंक 8 के स्थान पर 18 किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परीप्रेक्ष्य में की गई कार्रवाई की सूचना ग्रहण की गई।

29. सत्र 2006–07 का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित् किया गया है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– सत्र 2006–07 का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

30. अनियत अनुदान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनियत अनुदान) से विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एक मुश्त यात्रा अनुदान निर्धारित किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि अनियत अनुदान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनियत अनुदान) से विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एक मुश्त यात्रा अनुदान निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव मान्य किया गया।

32. श्री पैरीगंगा महाविद्यालय मैनपुर, की व्यावसायिक गणित की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में विषय विशेषज्ञ के जॉच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि पैरीगंगा महाविद्यालय मैनपुर के कार्रवाई पर कार्यपरिषद् ने अत्यंत कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। महाविद्यालय की परीक्षा निरस्त किये जाने के आदेश दिये तथा भविष्य में परीक्षा केन्द्र नहीं बनाएं जाने का निर्णय लिया गया। कक्ष अधीक्षक एवं वरीष्ठ अधीक्षक को दंडित किया जाय यह भी निर्णय लिया गया उपरोक्त कार्रवाई पूर्व कुलपति जी प्रकरण का स्वयं परीक्षा कराएंगे। यह सूचना भी दी गई।

33. ETR-1 Computrized tread mill कय किये जाने एवं रूपए 5,99,142/– की स्वीकृति के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि ETR-1 Computrized tread mill क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषय सूची

2. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.07.2008 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

निर्णय :– विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.07.2008 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. फिजियोथिरैपी महाविद्यालय बुढ़ापारा के विरूद्ध वहां के छात्र डॉ. एस.भोसले, डॉ. रसीद खान एवं डॉ. निलम गौतम के शिकायत पर गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– समिति का प्रतिवेदन मान्य कर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

निर्णय :– 1. विश्वविद्यालय से विज्ञापित पदो पर किये गए चयन समिति की अनुशंसा का लिफाफा रखा गया। समन्वय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी राजभवन से प्राप्त करने पश्चात लिफाफा खोले जाने का निर्णय लिया गया।

कैरियर एडवांसमेंट के अंतर्गत चयनित लिफाफा खोला गया। डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल को कैरियर एड्वांसमेंट के अंतर्गत प्रोफेसर पदोन्नत किया गया। अन्य नियुक्तियों से संबंधित लिफाफे कतिपय जानकारी सहित आपात बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णय :– 2. विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनियमित नियुक्तियों का नियमितीकरण किया जाय, अवैध नियुक्तियों का नहीं।

प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह, कुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने पत्र क्रमांक 4630 दिनांक 4.9.2008 (संलग्न) के द्वारा सचित किया है कि डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के कार्यपरिषद् का सदस्य मनोनीत किया गया। समिति ने सूचना ग्रहण करते हुये डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी को उनके इस उपलब्धि के लिये उन्हें बधाई दी।

कुलपति

अध्यक्ष

कुलसचिव

सचिव

पृ.क्रमांक 2278/अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : 25/09/2008

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहाय, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)